come down from 131 to 125. Efforts are being made by the public health centres to give nutritional food both to the mother and the child.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: May I know from the hon. Minister the total amount of money allocated for 1980-81 under the integrated children's welfare and development programme and whether the various State Governments for which this money was allocated have fully utilised the money that has been placed at their disposal?

SHRI S. B. CHAVAN: For 1980-81, the programme has been very recently launched. We feel that they will be able to spend the entire money which has been allocated to them.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: What is the total amount allocated?

SHRI S. B. CHAVAN: I will require notice.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Does he require notice to tell us, what is the total amount allocated for it?

MR. SPEAKER: He might not be having it now.

श्री मूल चन्द डागा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि जो प्रोग्राम बनाया था, वह फुलफिल कर लिया है। मैं यह कह रहा हूं कि बच्चों को एजुकेशन के अन्दर परसेंटेज 18 प्रतिशत कम हुआ है। आज जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, उनमें छोटे बच्चे कम जा रहे हैं। इसका क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो वैलफेयर की बात कर रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जो आंकड़ा दिया है, वही सही है या गलत है ? क्योंकि परसेंटेज गिरता जा रहा है।

SHRI S. B. CHAVAN: In absolute terms, the number has increased.

श्री बीरेन्द्र राज सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संख्या इसलिए ज्यादा है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बाल कल्याण के लिए जो कार्यक्रम हैं वे बहुत कम हैं और ग्रामीण बच्चों की देखरेख, पौष्टिक आहार और जच्च-बच्चा की सुरक्षा का कोई विशेष इन्तजाम नहीं है और इस तरफ ध्यान भी बहुत कम गया है ? अगर मृत्यु संख्या ज्यादा है, तो क्या यह बात भी सत्य है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो मृत्यु संख्या है, उन दोनों में अन्तर है ?

SHRI S. B. CHAVAN: It is a fact that, in rural areas, the rate of mortality is definitely higher than in urban areas. I would not be able to give the figures.

रोलर फ्लोर मिलों के लिये नये लाइसेंस

*290. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोलर फ्लोर मिलों के विस्तार तथा उन्हें नये लाइसेंस देने संबंधी वर्तमान सरकार की नीति क्या है ;

(ख) क्या पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया था ; और

(ग) सरकार का विचार उसे कब तक क्रियान्वित करने देने का है और तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (KUMARI KAMLA KUMARI): (a) According to the present policy of the Government, there is a ban on the setting up of new or expansion of existing wheat roller flour mills in the country.

(b) and (c). In partial modification of the policy of total ban followed earlier, the previous Government had in June, 1979, authorised the State Governments to permit setting up of wheat roller flour mills only in the small scale sector with a capacity upto 30 tonnes per day. This policy has, however, been reversed and the authority given to the State Governments in this respect has been revoked with effect from 24th May, 1980.

श्री राम लाल राही : माननीय मंत्री जी जानती होंगी कि उत्तर भारत में अधिकांश लोग गेहूं के आटे का इस्तेमाल करते हैं और दक्षिण भारत के लोग ज्यादातर चावल खाते हैं। बिजली की जो आज सारे देश में हालत है, वह किसी से छिपी नहीं है। गांवों में और शहरों में जो छोटी-छोटी आटा बनाने की चक्कियां लगी हुई हैं, उनको बिजली नहीं मिलती है और तीन-तीन और चार-चार दिनों तक लोग अपनी गठरियां गेहूं की बांधे फिरते हैं और उनको आटा नसीब नहीं होता है। इस बात को देखते हुए यह जरूरी था कि आटा मिलों की क्षमता को बढ़ाया जाए और खासकर उत्तर भारत में इसको बढ़ाया जाए, जहां गेहूं ज्यादा पैदा होता है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी को ज्ञात होगा कि पिछले साल आटा हिन्दुस्तान के बाहर देशों को गया था और इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे यहां गेहूं का उत्पादन बढ़ा है, हमारे देश से गेहूं और आटा दूसरे देशों को भेजा जाए, जिससे किसानों को प्रोत्साहन मिले, इसलिए भी जरूरी था कि इन आटा मिलों की क्षमता को बढ़ाया जाए और नई इकाइयां लगाई जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछली सरकार ने इनके विस्तार के लिए निर्देश दिये थे। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रतिबंध लगाने का क्या कारण है और क्या वर्तमान सरकार को उन मिलों में, जो अभी चल रही हैं, अपना विस्तार करने के लिए कोई आवेदन पत्र दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल करिये।

श्री रामलाल राही : मैं सवाल कर रहा हूं। उन मिलों ने कोई आवेदन पत्र दिये हैं और दिये हैं, तो कितने दिये हैं ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): The capacity of the existing mill is very considerable. The existing mills alone have a capacity of nearly six million tonnes. Therefore, the question of shortage of capacity with the mills does not arise. We are not in favour of export of wheat or wheat products. Therefore, the question of allowing more mills to be set up for export of *atta* or other products also does not arise.

In view of the fact that there is already a very large number of mills which can cope up with the requirements of the country and in view of the need to conserve our food stocks, paricularly in the matter of wheat, we decided to place a ban on setting up of new mills and also on expansion.

श्री राम लाल राही : मैंने आप से यह निवेदन किया था कि जिन मिलों ने 1979 के पहले विस्तार के लिए आवेदन-पत्र दिया था, क्या उन्होंने फिर यह मांग की है कि उन्हें विस्तार की अनुमति दी जाए ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : सन् 1979 तक या इससे पहले 338 एप्लीकेशंस आयी थीं। पहले यह काम इन्डस्ट्रीज मिनिस्ट्री के पास था। उसके बाद दिसम्बर, 1976 से यह सब्जेक्ट फूड मिनिस्ट्री को ट्रांसफर हो गया। उनमें से 145 एप्लीकेशंस पर गौर हो रहा था। उसके बाद 1979 में भी पिछली सरकार ने भी बैन लगा दिया था और इनमें से किसी भी एप्लीकेशन पर लायसेंस नहीं दिया गया।

श्री राम लाल राही : माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया है। मैं यह जानना चाहता

हूं कि हमारे देश में आटे की कितनी खपत है और कितना आटा पैदा हो रहा है ? जिन मिलों को आंशिक रूप से 1979 में छूट दी गयी थीं, उनमें से क्या कुछ ऐसी मिलें भी आपकी जानकारी में हैं जिन्होंने कि अपना विस्तार करना शुरू कर दिया था ? किसी ने बिल्डिंग बना ली थी, किसी ने मशीन के लिए आर्डर दे दिया था ? क्या ऐसी मिलों को आप विस्तार करने की इजाजत देंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : 1979 में पिछली सरकार के दौरान यह फैसला किया गया था कि तीस टन तक की केपेसिटी के लिए स्माल सेक्टर में स्टेट गवर्नमेंट लायसेंस दे सकती हैं। तीस टन से ज्यादा की केपेसिटी के लिए भारत सरकार लायसेंस देगी। फिर 24 मई, 1980 में दुबारा यह बैन लगाया गया कि पूरे तौर पर जहां-जहां स्टेट गवर्नमेंट्स की इजाजत से मिलें लग गयी हैं या स्टेट गवर्नमेंट के लायसेंस से तीस टन तक रोजाना की केपेसिटी की मिलें चल रही हैं उनमें अगर 50 आदमी से ज्यादा काम करते हैं तो उनको भारत सरकार से लायसेंस लेना पड़ेगा। अगर 50 से कम आदमी काम करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको लायसेंस दे सकती है। उनके लिए लायसेंस का यह तरीका बना दिया गया है।

जहां तक आटे की खपत का ताल्लुक है उसका अन्दाजा तो नहीं हो सकता है लेकिन मिलों के जरिये से आटे की खपत का कुछ अन्दाजा हो सकता है। जितना गेहूं हम मिलों को हर महीने देते हैं उससे अन्दाजा लगा लेना चाहिए। कोई तीन लाख टन गेहूं मिलों के नाम से हर महीने फूड कारपोरेशन आफ इंडिया इशू करती है। छोटी-छोटी चक्कियां जो आटा पीसती हैं और उसकी जो खपत होती है उसका अंदाजा हमारे पास नहीं है।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : फूड कारपोरेशन आफ इंडिया की तरफ से फ्लोर मिलों को 31 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सीडी दी जाती है। क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं। कि उसका फायदा कंज्यूमर को नहीं मिलता है ? जो सब्सीडी आप मिलों को देते हैं वह सब्सीडी आपको किसानों को देनी चाहिए, कंज्युमर को देनी चाहिए। यह जो मिलों को सब्सीडी दी जाती है इससे ब्लेक मनी का जेनरेशन होता है। आप कंज्युमर को न्याय देने के लिए इसके बारे में क्या कर रहे हैं ? मेरे पास इसकी इंफर्मेशन आयी है।

MR. SPEAKER: That does not arise. You can put a new question.

श्रीमती प्रमिला दंडवते: फ्लोर मिल को जो सब्सीडी दी जाती है यह उसका सवाल है। (**व्यवधान**)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : माननीय स्पीकर साहब, सवाल यह पैदा होता है मिलों को अगर हम, जैसा माननीय सदस्या ने कहा—उसी भाव पर गेहूं दें तो क्या उससे डबल रोटी और दूसरी चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी जिनकी कि शहरों के अन्दर खपत होती है और काफी खपत होती है। दूसरी बात यह है और माननीय सदस्या भी इसे जानती होंगी कि बहुत से मज़दूर और वीकर सेक्शंस के लोग गेहूं खरीद कर नहीं पिसवाते हैं बल्कि रोजाना अपनी ज़रूरत का आटा खरीदते हैं। तो अगर मिलों को गेहूं देने का दाम बढ़ा दिया जाए या फर्क कर दिया जाए तो आटे का दाम बढ़ेगा, उससे भी वीकर सेक्शंस पर ही असर पड़ेगा ? डबलरोटी की कीमत भी बढ़ेगी।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : सब्सिडी कंज्युमर्स को देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल दुबारा दीजिए आप।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY: Mr. Rahi created a wrong impression that South India is not consuming flour. It is not correct. Previously Government had done a lot of propaganda to consume wheat as rice was

in short supply. I want to know from the hon. Minister in view of the heavy consumption in South India, whether he is going to sanction some more flour mills to South India.

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : साउथ इंडिया में भी स्पीकर साहब मिलों की तादाद काफी है। तमिलनाडु में 24 मिलें लगी हुई हैं। इसी प्रकार आंध्र में भी हैं, केरल में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं। कोई भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां मिलों की कमी हो। कैपेसिटी काफी इन मिलों की है।

Fertiliser Allotted to States

292. SHRI CHINTAMANI JENA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state the quantity of fertilizers so far allotted to various States during the first half of the current year.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (KUMARI KAMLA KUMARI): The fertilisers are allotted separately for Kharif (February-July) and Rabi (August-January) seasons. A statement indicating fertilisers allotted during Kharif (February to July, 1980) is laid on the Table of the House.

Statement

Fertilizers allotted during Kharif, 1980

(In '000 Tonnes)

Sl. No.	Name of the State	N+P+K
1	Andhra Pradesh	240·00
2	Karnataka	227·05
3	Kerala	64·08
4	Tamil Nadu	258·43
5	Gujarat	203·06
6	Madhya Pradesh	79·15
7	Maharashtra	254·91
8	Rajasthan	58·04
9	Punjab	272·58
10	Haryana	96·28
11	Uttar Pradesh	414·36
12	Himachal Pradesh	11·58
13	Jammu & Kashmir	17·68
14	Assam	11·91
15	Bihar	67·66
16	Orissa	38·87
17	West Bengal	130·90
18	Meghalaya	1·40
19	Nagaland	0·50
20	Sikkim	0·72
21	Tripura	2·22
22	Manipur	3·09
23	Others	91·16
	TOTAL	2545·63

SHRI CHINTAMANI JENA: May I know from the hon. Minister on what basis the supplies were made on the intents by various States and types of fertilisers they have given?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION (SHRI BIRENDRA SINGH RAO): Sir, the fertiliser has been allotted to the States on the basis of their consumption during the last year. Also the availability of fertiliser is taken into consideration. But, for the Kharif season for which the question has been put, there has, in fact, been no difficulty about the availability of fertilisers. People have got as much as they require.

SHRI CHINTAMANI JENA: May I know from the hon. Minister whether in Talcher Fertiliser Plant there is more production of the sub-standard urea and fertilisers which were not